

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
O/o Controller General of Accounts
Central Pension Accounting Office**

Bhikaji Cama Place, Trikoot-II,
New Delhi – 110066

**LOK SABHA
UN-STARRED QUESTION No. 1922
TO BE ANSWERED ON MONDAY, 13th MARCH, 2023**

PENSION ADALAT ORGANISED BY CPAO

1922 SHRI SUBRAT PATHAK:
 SHRI RAVINDRA KUSHWAHA:
 SHRI RAVI KISHAN

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) Whether the Central Pension Accounting Office (CPAO) is going to organize a 'Pension Adalat' through video conferencing;
- (b) If so, the details thereof along with the aims and the objectives thereof;
- (c) the details of issues/matters likely to be sorted out in the said Pension Adalat;
- (d) the main objectives of launching National Pension Scheme (NPS) along the number' of persons enrolled under the scheme its inception, State/UT wise; and
- (e) whether the Government achieved the objective of launching NPS and if so, the details thereof and if not, the corrective measures taken/being taken by the Government in this regard?

Answer

**MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SMT. NIRMALA SITHARAMAN)**

(a) to (e): A statement is placed on the Table of the House

Statement referred to in reply to Lok Sabha Un-Starred Question No. 1922 for answer on 13th March, 2023 raised by Hon'ble Members of Parliament SHRI SUBRAT PATHAK, SHRI RAVINDRA KUSHWAHA, SHRI RAVI KISHAN regarding **'PENSION ADALAT ORGANISED BY CPAO'**

(a) & (b) Central Pension Accounting Office (CPAO) does organize Pension Adalat periodically, last Pension Adalat was organized by CPAO through video conferencing on 16th March, 2022.

The aims and objective of this 'Pension Adalat' are to facilitate prompt and quick redressal of the grievances of the pensioners/family pensioners.

(c) The details of issues/matters taken up to resolve in the Pension Adalats relate to payment of commutation value, payment of additional pension due, payment of arrear of pension due to revision & issues related to life certificate submission.

(d) The National Pension System (NPS) was introduced by the Government of India to replace the defined benefit pension system by defined contribution pension scheme in order to provide old age income security and to channelize the small savings into productive sectors of the economy through prudential investments. NPS was made mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st January, 2004, (except the armed forces in the first stage) and has also been rolled out for all citizens with effect from 1st May, 2009, on voluntary basis.

The number of persons enrolled under NPS as on 28.02.2023, since its inception, State/UT-wise is at Annexure A.

(e) Government of India has taken a number of steps for streamlining NPS for Central Government employees. These include enhancement of Government's contribution from the earlier 10% of Pay + DA to 14% of Pay + DA, freedom of choice for selection of Pension Funds and pattern of investment to subscribers, payment of compensation for non-deposit or delayed deposit of NPS contributions for any period during 2004-2012, tax exemption under section 80C of the Income Tax Act, 1961 and increase in tax exemption limit for lump sum withdrawal on exit from earlier 40% to 60% of the amount due, making the entire withdrawal exempt from income tax.

Annexure A

The number of persons enrolled under NPS as on 28.02.2023, since its inception, State/UT-wise

Sl. No.	Name of State	Number of Subscribers
1.	Andaman & Nicobar Islands	15,398
2.	Andhra Pradesh	10,95,430
3.	Arunachal Pradesh	40,226
4.	Assam	5,32,482
5.	Bihar	7,65,178
6.	Chandigarh	41,519
7.	Chhattisgarh	6,23,948
8.	Dadra and Nagar Haveli & Daman & Diu	5,527
9.	Delhi	4,95,577
10.	Goa	64,513
11.	Gujarat	8,24,741
12.	Haryana	5,36,573
13.	Himachal Pradesh	1,99,076
14.	Jammu & Kashmir	2,53,459
15.	Jharkhand	4,02,236
16.	Karnataka	14,85,649
17.	Kerala	7,35,253
18.	Ladakh	692
19.	Lakshwadeep	2,448
20.	Madhya Pradesh	9,90,519
21.	Maharashtra	17,76,435
22.	Manipur	73,764
23.	Meghalaya	36,017
24.	Mizoram	15,148
25.	Nagaland	53,504
26.	Odisha	6,09,038
27.	Pondicherry	27,486
28.	Punjab	3,87,258
29.	Rajasthan	10,27,720
30.	Sikkim	31,346
31.	Tamil Nadu	7,62,736
32.	Telangana	2,37,266
33.	Tripura	62,289
34.	Uttar Pradesh	19,30,480
35.	Uttarakhand	2,05,582
36.	West Bengal	7,26,759
37.	Others*	45,188
	Total	1,71,18,460

Others include paramilitary forces, Non Resident Indian subscribers, and Overseas Citizenship of India subscribers.

Source: PFRDA

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकूट-II,
नई दिल्ली - 110066

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1922
उत्तर सोमवार, 13 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

“सीपीएओ द्वारा आयोजित पेंशन अदालत”

1922 श्री सुब्रत पाठक
श्री रवींद्र कुशवाहा
श्री रवि किशन

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क) क्या केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'पेंशन अदालत' आयोजित करने जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त पेंशन अदालत में निपटाए जाने वाले संभावित मुद्दों/मामलों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या; और
- (ङ) क्या सरकार ने एनपीएस शुरू करने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

संसद के माननीय सदस्यों श्री सुब्रत पाठक, श्री रविंद्र कुशवाहा और श्री रवि किशन द्वारा 'सीपीएओ द्वारा आयोजित पेंशन अदालत' के संबंध में 13 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1922 के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य-

(क) और (ख) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) समय-समय पर पेंशन अदालत का आयोजन करता है, विगत पेंशन अदालत का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 मार्च, 2022 को सीपीएओ द्वारा किया गया था।

इस 'पेंशन अदालत' का लक्ष्य और उद्देश्य पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के तात्कालिक और त्वरित निवारण की सुविधा प्रदान करना है।

(ग) सारांशीकरण मूल्य के भुगतान, अतिरिक्त पेंशन के भुगतान, संशोधन के कारण पेंशन के बकाया का भुगतान और जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित मुद्दों/मामलों का विवरण पेंशन अदालतों में हल करने के लिए लिया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना द्वारा बदलने के लिए की गई थी ताकि वृद्धावस्था आय सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से अल्प बचतों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र में लाया जा सके। एनपीएस को केंद्र सरकार सेवा (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों के अतिरिक्त) में 1 जनवरी, 2004 से सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य किया गया और 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए प्रभावी रूप से शुरू किया गया था।

इसकी स्थापना के बाद से 28.02.2023 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकित व्यक्तियों की संख्या, अनुलग्नक 'क' में है।

(ङ) भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को सुव्यवस्थित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इसमें वेतन + डीए के पूर्वनिर्धारित सरकारी योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% तक किया जाना, पेंशन फंड के स्वेच्छा से चयन की स्वतंत्रता और ग्राहकों के लिए निवेश का पैटर्न, 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए गैर-जमा या एनपीएस योगदान की देरी से जमा के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर छूट और एकमुश्त निकासी के लिए कर छूट की सीमा में वृद्धि, देय राशि के पहले 40% से 60% तक, पूरी निकासी छूट आयकर से मुक्त शामिल है।

इसकी स्थापना के बाद से, 28.02.2023 को राज्य वार-संघ राज्य क्षेत्र/एनपीएस के तहत नामांकित व्यक्तियों की संख्या-

क्रमांक	राज्य का नाम	अभिदाताओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15,398
2	आंध्र प्रदेश	10,95,430
3	अरुणाचल प्रदेश	40,226
4	असम	5,32,482
5	बिहार	7,65,178
6	चंडीगढ़	41,519
7	छत्तीसगढ़	6,23,948
8	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	5,527
9	दिल्ली	4,95,577
10	गोवा	64,513
11	गुजरात	8,24,741
12	हरियाणा	5,36,573
13	हिमाचल प्रदेश	1,99,076
14	जम्मू और कश्मीर	2,53,459
15	झारखंड	4,02,236
16	कर्नाटक	14,85,649
17	केरल	7,35,253
18	लद्दाख	692
19	लक्षद्वीप	2,448
20	मध्य प्रदेश	9,90,519
21	महाराष्ट्र	17,76,435
22	मणिपुर	73,764
23	मेघालय	36,017
24	मिजोरम	15,148
25	नागालैंड	53,504
26	ओडिशा	6,09,038
27	पांडिचेरी	27,486
28	पंजाब	3,87,258
29	राजस्थान	10,27,720
30	सिक्किम	31,346
31	तमिलनाडु	7,62,736
32	तेलंगाना	2,37,266
33	त्रिपुरा	62,289

34	उत्तर प्रदेश	19,30,480
35	उत्तराखण्ड	2,05,582
36	पश्चिम बंगाल	7,26,759
37	अन्य*	45,188
	कुल	1,71,18,460

*अन्य में अर्धसैनिक बल, अप्रवासी भारतीय ग्राहक और भारत की विदेशी नागरिकता ग्राहक।

स्रोतपीएफआरडीए :
